



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 544]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर, 30, 2013/कार्तिक 8, 1935

No. 544]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 30, 2013/KARTIKA 8, 1935

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, 2013

सा.का.नि.712(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उप-धारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, साधारण ड्यूटी काडर (समूह 'ख' एवं 'ग' पद) भर्ती नियम, 2012 का निम्नलिखित संशोधन करती है:—

- (1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ— इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, साधारण ड्यूटी काडर (समूह 'ख' और समूह 'ग' पद) भर्ती संशोधन नियम, 2013 है।
- (2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, साधारण ड्यूटी काडर (समूह 'ख' एवं 'ग' पद) भर्ती नियम, 2012 की अनुसूची में स्तंभ (10) के अधीन उप-निरीक्षक (साधारण ड्यूटी) के पद से संबंधित क०सं० 2 के सामने मद (iii) में "प्रोन्नति द्वारा" शब्दों के पश्चात्, "जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा" शब्द पढ़ें।

[फा. सं. 1. 12013/1/2013—संगठन]

हरीश चन्द्र, उप सचिव

टिप्पण:— मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 817 (अ) तारीख, 8 नवम्बर, 2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 23th October, 2013

G.S.R.712(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Indo-Tibetan Border Police Force, General Duty Cadre(Group 'B' and 'C' Posts) Recruitment Rules, 2012, namely :-

1. Short title and commencement.--(1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, General Duty Cadre(Group 'B' and 'C Posts), Recruitment(Amendment) Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indo-Tibetan Border Police Force, General Duty Cadre (Group 'B' and 'C' Posts), Recruitment Rules, 2012, against serial number 2 relating to the post of Sub-Inspector(General Duty), under column(10), in item (iii) for the words "from time to time", read the words "from time to time, failing which by promotion".

[F. No. I-12013/1/2013-Org.]

HARISH CHANDER, Dy. Secy.

Note - The principal rules were published in the Gazette of India vide GSR 817(E), dated the 8th November, 2012.